न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह R.A.S.)

प्रकरण सं. 9/2023
किस्म प्रार्थना पत्र 212(2) आरटीए.
निर्णय दिनांक 11/07/23

1. हरिसिंह पुत्र दौजी उम्र 67 साल जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. मांगीलाल पुत्र दौजी जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर जरिये मुख्तार नामा सगा पुत्र भजनसिंह पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई

सायल

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजवीर पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. महावीर सिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. धर्मवीर सिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. सतवीर सिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. विरजो पुत्र समंदर जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. रेवती पुत्र दीपचंद जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. कुंवरसिंह पुत्र दीपचंद जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर

गैरसायलान

उपस्थित श्री परशुराम एड0(सायलान की और से

निर्णय प्रार्थना पत्र अंत.धारा 212(2) आरटीए

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

1. यह है कि सायलान एवं गैरसायलान वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई के वासिन्दा है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में कुटुम्बीजन है, जिनके लिये सजरा है।
2. यह है कि साबिक आराजी खसरा न. 448 रकवा 4 वीघा 5 बिस्वा, खसरा न. 449 रकवा 3 वीघा 2 बिस्वा, खसरा न. 455 रकवा 2 वीघा 10 बिस्वा, खसरा न. 456 रकवा 2 वीघा 10 बिस्वा, खसरा न. 457 रकवा 10 वीघा 14 बिस्वा, खसरा न. 458 रकवा 4 वीघा 16 बिस्वा, खसरा न. 459 रकवा 2 वीघा 17 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकवा 30 वीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम अरौदा भू.अभिलेख क्षेत्र हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके बंदोवस्त विभाग द्वारा हाल वर्तमान में नये खसरा नम्बरान 793/0.22, 794/0.15, 795/0.33, 796/0.25, 797/0.26, 811/0.09, 812/0.10, 813/0.21, 814/0.43, 816/0.43, 817/0.47, 818/0.41, 815/0.27, 819/0.18, 820/0.03, 821/0.03, 822/0.02, 823/0.02, 824/0.18, 825/0.22, 826/0.10, 827/0.14, 828/0.46 कुल खसरा न. 23 रकवा 4.96 है. वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर बनाये गये हैं।
3. यह कि साबिक खसरा न. 448, 449, 455, 456, 457, 458, 459, जमाबंदी संबत 2010–2013 में प्रार्थीगण के पिता रामअवतार के बाबा के नाम गैरमौरोसी व काश्त साल 14 व 18 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, तथा राज. काश्तकारी अधिनियम सन 1955 संबत 2012 जो दिनांक 19.03.1955 को लागू हुआ से पहले गैरमौरोसी के इंद्राज था। जो संबत 1996 से रहे हैं भरतपुर रियासत में राजस्व कोड प्रचलित था। जिसमें गैर मौरोसी एवं मौरोसी के इन्द्राजों को खातेदार के समान अधिकार प्राप्त थे। संबत 2015 से 2018 की जमाबंदी बनाते समय खसरा न. 458 व 459 के मांगीलाल,भगवानसिंह, व हरिसिंह पिसरान दौजी के इन्द्राज हो गये जो बदस्तूर संबत 2028 तक रहे। लेकिन वक्त सैटलमेन्ट संबत 2028 खसरा न. 456 रकवा 2 वीघा 10 बिस्वा, खसरा न. 458 रकवा 4 वीघा 16 बिस्वा खसरा न. 459 रकवा 2 वीघा 17 बिस्वा पर इन्द्राज समन्दर व दीपचन्द 3/4 हिस्सेदार एवं मांगीलाल, भगवानसिंह व हरिसिंह पिसरान दौजी 1/4 हिस्सा के इन्द्राज कर दिये। खसरा न. 459 का नया नंबर 645, 458 का नया नंबर 644 व खसरा न. 459 का नया नंबर 645 बनाया गया। खसरा न. 644 व 645 पर इन्द्राज समन्दर व दीपचन्द 3/4 हिस्सा एवं मांगीलाल, भगवानसिंह हरिसिंह पिसरान दौजी 1/4 हिस्सा के इन्द्राज कर दिये एवं खसरा न. 643 पर मांगीलाल, भगवानसिंह, हरीसिंह पिसरान दौजी 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिये गये जबकि उक्त इन्द्राज अवैद्य एवं शून्य है। क्योंकि वन्दोवस्त विभाग को कई इन्द्राज स्वमेव करने का कोई अधिकार नहीं है। वन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राजों को रिपीट करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। व गैर सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बंदोवस्त विभाग इन्द्राज वदल नहीं सकता है। इस प्रकार संबत 2028 में समन्दर व दीपचन्द के नाम खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई।
4. यह कि खसरा न. 448 रकवा 4 वीघा 5 बिस्वा खसरा न. 449 रकवा 3 वीघा 2 बिस्वा खसरा न. 455 रकवा 2 वीघा 10 बिस्वा खसरा न. 456 रकवा 2 वीघा 10 बिस्वा खसरा न. 457 रकवा 10 बीघा 14 बिस्वा पर जमाबंदी संबत 2015–2018 में समन्दर व दीपचन्द पिसरान रामचंद वाहिस्सा

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

बराबर के इन्द्राज हो गये जो इंतकाल संख्या 411 से किये गये जबकि आयुकत महोदय अजमेर का कोई स्थगन आदेश नहीं था। जिससे खसरा न. 448/449,455,456,457 पर सायलान प्रार्थीगण के पिता रामअवतार के बाबा के इन्द्राजों को कलमजन किया जा सके और किस कानून के तहत संबत 2015 में समन्दर व दीपचंद पिसरान रामचन्द्र के नाम इन्द्राज हो गये। जबकि उससे पहले उनके नाम किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी। संबत 2015 लगायत 2018 में समन्दर दीपचन्द के नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किये वो खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका किये गये जो वाहक प्रार्थीगण अवैद्य एवं शून्य है।

5. यह कि उपरोक्त विवादित आराजीयात के संबंधित इन्द्राज दुरूस्ती हेतु एक दावा वाउनवानी हरीसिंह बनाम विरजो वगै. न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है। उसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए वाउनवानी हरीसिंह बनाम विरजो वगै. मु. न. 106/2021 व प्रार्थना पत्र 151 जा. दी. उनवानी हरीसिंह बनाम विरजो वगै. वमु. न. 142/2021 न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है जिसमें गैरसायलान को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु व मदाखलत मजामहत न करने हेतु अप्रार्थीगण गैरसायल को स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा है। प्रार्थीगण सायलान उपरोक्त आराजीयात पर मौके परर संबत 2009 से अब तक मौके पर मुताबिक विगत दस्तावेजात जमाबंदी संबत 2009--2012 मौके पर संपूर्ण पर काबिज हो कर काश्त कर रहे हैं। उक्त स्थगन आदेश के बाबजूद भी गैरसायलान सायलान के साथ बार–बार काश्त में दखलांदाजी करते हैं। तथा मौके की यथास्थिति को परिवर्तित ककी है जिसके बाबबत प्रार्थीगण सायलान द्वारा अप्रार्थीगण गैरसायलान के खिलाफ हुक्म अदूली प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए (कंटेम्प्ट) जा. दी. प्रा. पत्र भी अप्रार्थीगण गैरसायलान के खिलाफ प्रस्तुत कर रखा है।

6. यह कि प्रार्थीगण सायलान को गैरसायलान मौके पर बार–बार काश्त में दखलंदाजी कर शान्ती व्यवस्था भंग करते रहते हैं तथा झगडा फसाद करने पर आमादा रहते हैं जिसके बाबत भी प्रार्थीगण सायलान ने अप्रार्थीगण गैरसायलान के खिलाफ शान्ती व्यवस्था बनाये रखने हेतु इस्तगासा न्यायालय श्रीमान में अंतर्गत धारा 107/116 जा. फौ. पेश कर रखा है जिसे बाद जांच एस.एच.ओ. थाना नदबई द्वारा शांतीभंग का अंदेशा मानते हुये गैरसायलान को पाबंद करने हेतु इस्तगासा मु. न. 759/2021 प्रस्तुत किया है। जो कि न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। गैरसायलान के वि☺ सायलान द्वारा एफआईआर सं. 349/2021 प्रस्तुत की जो अंडर इंवेस्टीगेशन है। इन सब के बाद भी गैरसायलान अपनी आदतों से बाज नहीं आये और न्यायालय श्रीमान की लगातार अवहेलना करते रहे और मौके पर शान्ती व्यवस्था को बार–बार भंग करने के कारण थानाधिकारी नदबई द्वारा 151 जा. दी. के तहत गैरसायलान को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिसमें न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण नॉन कम्पलाईंस में न्यायालय श्रीमान के आदेश अनुसार गैरसायलान को सेवर जेल भेजा गया। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश के बाबजूद हुक्म अदूली के प्रार्थना पत्र पेश करने के बाबजूद एवं शांती व्यवस्था बनाये रखने हेतु 107/116 जा. फौ. इस्तगासा पेश करने के बाबजूद व धारा 151 जा.दी. में जेल जाने के

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

बावजूद गैरसायलान शान्ती व्यवस्था को भंग कर रहे हैं व मौके पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सायलान को कब्जे से जबर्दस्ती लट्ठ के बल पर बेदखल कर दिया है। इस प्रकार पजेशन इनमीडियो है तथा आराजीयात वेस्ट एण्ड डेमेज हो रही है व मौके पर शान्ती व्यवस्था भंग होने का पूर्णतया खतरा पैदा हो गया है एवं लॉ एण्ड ऑर्डर भी खराब हो रहा है।

7. यह कि दिनांक 15.02.2023 को अप्रार्थीगणों द्वारा यह धमकी दी गई कि हमने तुमको बावजूद स्थगन आदेश, बावजूद हुक्म अदूली प्रार्थना पत्र कब्जे से बेदखल कर दिया है तथा बावजूद प्रार्थना पत्र 107/116 जा.फौ. व प्रार्थना पत्र 151 जा.फौ. में 06 माह के पाबंद होने के बावजूद हम तुझे जान से मार डालेंगे तथा तुझे तेरी आराजी पर हक व अधिकार प्राप्त नहीं करने देंगे तथा लगातार शान्ती व्यवस्था को भंग करेंगे। अतः श्रीमान गैरसायलान को उक्त कृत्य प्रार्थना पत्र 212 (2) आरटीए की परिधि में आता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरणों के अंतिम निस्तारण तक उक्त विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त कर आराजीयात को कब्जे राज में लिये जाने के आदेश पारित करें।

8. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब किया गया। आगामी तारीख पेशी वास्ते तलवी दिनांक 27.03.2023 नियत की गई । वकील प्रार्थी द्वारा रजिस्टर एडी की रशीद पेश की। नियत पेशी पर पत्रावली प्रस्तुत हुई और रजिस्टर एडी प्राप्त हुई। गैरसायल सं. 2 व 4 .ने लेने से इंकार किया, एवं अन्य गैरसायलान की तलवी हो चुकी है, गैरसायलान सं. 1 व 3 व 5 लगायत 8. के एडी फार्म पर हस्ताक्षर है। उसके बाद पत्रावली वास्ते इन्तजार गैरसायलान की उपस्थिति आगामी तारीख पेशी 08.05.2023 नियत की गई। जिस पर कोई भी गैरसायलान या गैरसायलान की ओर से वकील उपस्थित नहीं । इसलिये आगामी तारीख पेशी वास्ते इन्तजार उपस्थिति गैरसायलान नियत की गई। नियत तिथि दिनांक 26.06.2023 .को पत्रावली प्रस्तुत हुई, नियत तिथि दिनांक 26.06.2023.पर भी गैर सायलान की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। बार–बार आवाज लगवाई गई। बार–बार आवाज लगवाने के बाद भी गैरसायलान व उसकी तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। गैरसायलान की दिनांक 26.06.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06.07.2023 नियत की गई। पत्रावली नियत तारीख पेशी 06.07.2023 को प्रस्तुत हुई जिसमें एक बार फिर गैरसायलान को आवाज लगवाई गई, गैरसायलान की ओर से श्री फूलसिंह एडवोकेट मय वकालतनामा उपस्थित हुये, लेकिन गैरसायलान के अधिवक्ता श्री फूलसिंह द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वकील गैरसायल द्वारा यह कहा गया कि अगर श्री फूलसिंह अधिवक्ता कोई प्रार्थना पत्र एक्स पार्टी निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करते हैं तो उसे मेरी तरफ से स्वीकार मान लिया जाये, इस बाबत सायल अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा पत्रावली की ऑर्डरशीट पर लिखित स्वीकृति दी गई और अपने हस्ताक्षर किये। इसलिये अधिवक्ता श्री फूलसिंह द्वारा आज ही एक्स पार्टी निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निवेदन किया । निवेदन स्वीकार कर आज ही प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु गैरसायलान अधिवक्ता श्री फूलसिंह को

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

आदेशित किया गया, और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 24.07.2023 नियत की गई।

9. यह है कि दिनांक 07.07.2023 को सायल अधिवक्ता श्री परसुराम बिहारिया द्वारा इस आशय का अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि बावजूद श्रीमान आदेश गैरसायल अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। इसलिये अधिवक्ता श्री फूलसिंह के वकालतनामा को स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिये मुझ सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए एक्ट की मूल पत्रावली आगामी तारीख पेशी 24.07.2023 से तलब की जाकर बहस सुनी जावे।

10. हमने पत्रावली को प्रार्थना पत्र आगामी तारीख पेशी 24.07.2023 से तलब किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री फूलसिंह अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है, और न्यायालय श्रीमान के आदेश की अवहेलना की है। इसके बावजूद भी न्याय की दृष्टि से गैरसायल अधिवक्ता को पुनः उपस्थित होने हेतु बार–बार आवाज लगवाई गई उसके बावजूद भी अधिवक्ता गैरसायल उपस्थित नहीं हुये। इससे ऐसा जाहिर होता है कि अधिवक्ता श्री फूलसिंह को उक्त पत्रावली मे रूचि नहीं है, इसलिये पत्रावली को ध्यान में रखते हुये 212(2) आरटीएक्ट की समरी प्रोसीडिंग को मद्धेनजर रखते हुये एवं गैरसायल अधिवक्ता की उक्त पत्रावली के प्रति उदासीनता को देखते हुये आज दिनांक 07.07.2023 को उपस्थित सायल अधिवक्ता सायल को बहस करने हेतू आदेशित किया।

11. सायल अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस दौरान कहा कि कि प्रार्थना पत्र की विवादित आराजीयात वाके ग्राम अरौदा में स्थित है। जिसमें खसरा न. 448, 449, 455, 456, 457, 458, 459, जमाबंदी संबंत 2010–13 में सायलान .के पिता व रामअवतार के बाबा दौजी के नाम गैरमौरोसी व काश्त सायल 14 व 18 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सम्बत 2012 जो दिनांक 19.03.1955 को लागू हुआ से पहले गैर मौरोसी के इन्द्राज थे। जो संबत 1996 से रहे हैं भरतपुर रिसायत में राजस्व कोड प्रचलित था। जिसमे गैरमौरोसी एवं मौरोसी के इन्द्राजों को खातेदारों के समान अधिकार प्राप्त थे। संबत 2015 से 2018 तक की जमाबंदी बनाते समय खसरा न. 458 व 459 के मांगीलाल, भगवानसिंह पिसरान दौजी के इन्द्राज हो गये जो वदस्तूर संबत 2028 तक रहे, लेकिन वक्त सैटलमेंट संबत 2028 खसरा न. 456 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा, खसरा न. 458 रकवा 4 वीघा 16 विस्वा, खसरा न. 459 रकवा 2 वीघा 17 विस्वा पर इन्द्राज समन्दर व दीपचन्द 3/4 हिस्सेदार एवं मांगीलाल, भगवानसिंह व हरिसिंह पिसरान दौजी 1/4 हिस्सेदार इन्द्राज कर दिये। खसरा न. 459 का नया नंबर 645, 458 का नया नंबर 644 व खसरा न. 459 का नया नं. 645 बनाया गया। खसरा न. 644 व 645 पर इन्द्राज समन्दर व दीपचन्द 3/4 हिस्सा एवं मांगीलाल, भगवानसिंह, हरिसिह पिसरान दौजी 1/4 हिस्सा के इन्द्राज कर दिये एवं खसरा न. 643 पर मांगीलाल, भगवानसिंह, हरिसिंह पिसरान दौजी 1/2 हिस्सा व समन्दर, दीपचन्द पिसरान रामचन्द 1/2 हिस्सा दर्ज कर लिये गये। जबकि उक्त इन्द्राज अवैद्य एव शून्य है क्योंकि बंदोवस्त विभाग को कोई इन्द्राज स्वमेव

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

करने का कोई अधिकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजों को रिपीट करने का पूर्ण अधिकार हासिल है व सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बंदोबस्त विभाग इन्द्राज बदल नहीं सकता है। इस प्रकार संवत 2028 में समन्दर व दीपचन्द के नाम खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई है। खसरा न. 448 रकवा 4 वीघा 5 विस्वा, खसरा 449 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा, खसरा न. 455 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा, खसरा न. 456 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा, खसरा न. 457 रकवा 10 वीघा 14 विस्वा पर जमाबंदी सवंत 2015 –18 में समन्दर व दीपचन्द पिसरान रामचन्द वाहिस्सा बराबर के इन्द्राज हो गये। जो इन्तकाल सं. 411 से किये गये हैं। जबकि आयुक्त महोदय अजमेर का कोई आदेश नहीं था, जिससे खसरा न. 448 ,449,455, 456, 457 पर सायलान प्रार्थीगण के पिता व रामअवतार के बाबा के इन्द्राजो को कलमजन किया जा सके और इस कानून के तहत संबत 2015 में समन्दर व दीपचन्द पिसरान रामचन्द्र के नाम इन्द्राज हो गये। जबकि उससे पहले उनके नाम किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं थी। संबत 2015 लगायत 2018 में समन्दर व दीपचन्द के नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किये वो खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका किये गये। जो वहां अप्रार्थीगण अवैद्य एवं शून्य हैं। उपरोक्त विवादित आराजीयात के संबंधित इन्द्राज दुरूस्ती हेतु एक दावा वाउनवानी हरिसिंह बनाम विरजो बगैरा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है, उसके साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 212 आरटीएक्ट व उनवानी हरिसिंह बनाम विरजो वगैरा मु. न. 106/2021 व प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. वाउनवानी हरिसिहं बनाम विरजो वगैरा व मु. न. 142/2021 न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है, जिसमें गैरसायलान को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु व मदाखलत मजामहत नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण गैरसायल को स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा है। प्रार्थीगण सायलान उपरोक्त आराजीयात पर मौके पर संबत 2009 से अब तक मौके पर मुताबिक विगत दस्तावेजात जमाबंदी संबत 2009–2012 मौके पर संपूर्ण पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त स्थगन आदेश के बाबजूद भी गैरसायलान सायलान के साथ बार– बार काश्त में दखलंदाजी करते हैं तथा मौके की यथास्थिति को परिवर्तित करते हैं, जिसके बाबत प्रार्थीगण सायलान द्वारा अप्रार्थीगण गैरसायलान के खिलाफ हुक्मअदूली प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए कंटेम्पट जा. दी. प्रार्थना पत्र भी अप्रार्थीगण गैरसायलान के खिलाफ प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीगण सायलान को गैरसायलान मौके पर बार–बार काश्त मे दखलंदाजी कर शांती व्यवस्था भंग करते रहते हैं तथा दंगा फसाद करने पर आमादा रहते हैं, जिसके बाबत भी प्रार्थीगण सायलान ने अप्रार्थीगण गैसायलान के खिलाफ शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु इस्तगासा न्यायालय श्रीमान में अंतर्गत धारा 107/116 जा. फौ. पेश कर रखा है। जिसे बाद जांच एसएचओ साहब थाना नदबई द्वारा शांतिभंग का अंदेशा मानते हुये गैरसायलान को पाबंद करने हेतु इस्तगासा मु. न. 759/2021 प्रस्तुत किया है। जो भी न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। गैरसायलान के विरूद्ध सायलान द्वारा एफआईआर सं. 349/2021 प्रस्तुत की जो अंदर जांच में चल रही है। इन सब के बाद भी गैरसायलान अपनी आदतों से बाज नही आये और न्यायालय श्रीमान की लगातार अवहेलना करते रहे और मौके पर शांती व्यवस्था को बार–बार भंग करने के कारण थानाधिकारी नदबई द्वारा 151 जा. दी. के तहत गैरसायलान को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान में

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिसमें न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण नॉन कम्पलाईसेंस में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार गैरसालान को सेवर जेल भेजा गया। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश के बाबजूद व हुक्म अदूली के प्रार्थना पत्र पेश करने के बाबजूद एवं शांती व्यवस्था बनाये रखने हेतु 107–116 जा.फौ. इस्तगासा पेश करने के बाद भी व धारा 151 जा. दी. में जेल जाने के बाबजूद गैरसायलान शांतिव्यवस्था को भंग कर रहे हैं व मौके पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा सायलान को कब्जे से जबर्दस्ती लट्ठ के बल पर बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार पजेशन इन मीडियो है तथा मौके पर शांती व्यवस्था भंग होने का पूर्णतः संम्भावाना है। इस बाबत गैरसालान द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2023 को बाबजूद हुक्म अदूली, बाबजूद दावा स्थगन आदेश कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी व शांती व्यवस्था कायम रखने हेतु न्यायालय श्रीमान द्वारा पाबंदी के बाबजूद जान से मारने की धमकी एवं आराजीयात को बेस्ट एण्ड डेमेज किया जाने का कहा गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद भी गैरसायलान का कुकृत्य नहीं रूका और इन्होंने दिनांक 16.03.2022 को विवादित आराजीयात के खसरा न. 793 पर जबर्दस्ती मौके की स्थिति में परिवर्तन कर एक कोठरी एक चबूतरे का टीप प्लास्टर सहित निर्माण कार्य कर न्यायालय श्रीमान के आदेश की अवहेलना की गई। इससे पूर्व भी गैरसायलान द्वारा दौराने दावा स्थगन आदेश मौके पर जबर्दस्ती भूटा, व ईंटों के टुकडे व मैटेरियल डालकर न्यायालय श्रीमान के आदेशों की अवहेलना की गई। इस बाबत दिनांक 15. 03.2022 को श्रीमान उपजिला कलक्टर नदबई द्वारा थानाधिकारी लखनपुर को लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने हेतु भी आदेशित किया गया है तथा 04.01. 2022 को भी श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई द्वारा थानाधिकारी लखनपुर को मौके स्थिति की वास्तबिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिसमें थानाधिकारी लखनपुर द्वारा दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थना पत्र 145 सीआरपीसी की अनुशंषा करते हुये मौके पर शांती व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अंदेशा जाहिर किया तथा प्रकरणों के अंतिम निस्तारण तक खडी फसल को राज्य सरकार के कब्जे में लेना उचित माना तथा प्रापर्टी के बेस्ट एण्ड डेमेज होने का खतरा जाहिर किया। उसके बाबजूद भी गैरसायलान अपनी आदतों से बाज नहीं आये और लगातार प्रापर्टी को बेस्ट एण्ड डेमेज करते रहे हैं और मौके शांती व्यवस्था को बार–बार भंग करते रहे हैं मौके पर कब्जा विवादित है, मौके पर पजेशन इनवीडीयो है। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान के समक्ष जो उपचार थे, वो सारे उपचार न्यायालय श्रीमान द्वारा गैरसायलान को प्रॉपटी को बेस्ट एण्ड डेमेज करने व मौके पर शांती व्यवस्था बनाये रखने हेतु पारित कर दिये हैं, लेकिन गैरसायलान न्यायालय श्रीमान के समक्ष आदेशों की अवहेलना कर कानून की खिल्ली उडाकर लट्ठ के बल पर अवैद्यानिक तरीके से लगातार विवादित आराजीयात को बेस्ट एण्ड डेमेज कर शांती व्यवस्था भंग करने जो पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है। इसलिये विवादित आराजीयत को बेस्ट एण्ड डेमेज होने से रोकने के लिये व शांती व्यवस्था मौके पर कायम रखने हेतु दावा के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना एवं विवादित आराजीयात को कब्जेराज में लिया जाकर विवातिदत आराजीयात की देखभाल संरक्षण रिसीवर की देखरेख में लिया

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

जाना न्यायोचित है, ताकि दावा के निस्तारण तक विवादित आराजीयात की वस्तुस्थिति न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुरक्षित रहे ताकि सही व शीघ्र न्याय कर सके और लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन रहे, मौके पर कोई जनहानि नहीं हो, शांती व्यवस्था बनी रहे। इस संबंधित कुछ नजीरे प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे सायल के बहस की पुष्टि होती है। प्रस्तुत नजीरें निम्न प्रकार हैं :— आरआरटी 2019 (1) पेज 699 लगायत 701, आरआरडी 2012 पेज सं. 42 लगायत 47 माननीय जस्टिस श्री मदनमोहन शर्मा एवं आरआरडी 2011 पेज सं. 496–97 माननीय श्रीमान उच्च न्यायालय राजस्थान में माननीय जस्टिर श्री मुहम्मद रफीक ने यह स्पष्ट आदेशित किया है कि अगर गैरसायलान लगातार न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश के बाबजूद प्रॉपटी को बेस्ट एण्ड डेमेज कर रही है, और लगातार शांती व्यवस्था मौके पर भंग हो रही है, जनहानि होने का अंदेशा कारित हो रहा है, व कब्जे संबंधी विवाद मौके पर लगतार बना हुआ है, ऐसी स्थिति में न्याय की मंशा को बरकरार रखने के लिये एवं लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये रिसीवर जो कि एक कठोरतम कार्यवाही है, नियुक्त करना न्याय की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि रिसीवर नियुक्त किया जाकर विविादित आराजी को कब्जे राज में लिया जावें।

12. हमने पत्रावली व वकील सायलान अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय श्रीमान में दावा मु. न. 142/2021 .हरिसिंह बनाम विरजो अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट विचाराधीन है जिसके साथ में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट मु. न. 106/2021 जिसमें गैरसायलान को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है एवं प्रार्थना पत्र 151 जा. दी. मु. न. 142/2021 जिसके अंतर्गत गैरसायलान को मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया गया है, प्रकरण विचाराधीन है एवं प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए वाउनवानी हरिसिंह बनाम विरजो मु. न. 175/2021 एवं दूसरा प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली वाउनवानी हरिसिंह बनाम राजवीरसिंह मु. न. 55/2023 विचाराधीन है एवं प्रार्थना पत्र 107–116 के तहत अप्रार्थीगणों को पाबंद भी कर रखा है एवं कई बार लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये हैं, एवं एफआईआर सं. 349, 142 पुलिस थाना लखनपुर वक्त जुताई, कटाई मौके पर विवाद होने पर दर्ज की गई हैं, तथा कई स्थगन पालना रिपोर्ट भी न्यायालय श्रीमान की ओर से गैरसायलान को पाबंद करने हेतु जारी की गई हैं, वकील सायल द्वारा अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य जो प्राथमिक साक्ष्य की परिधि में आते हैं से साबित किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के पास जो प्राथमिक उपचार उपलब्ध थे वह सभी उपचार विवादित आराजीयात को बेस्ट एण्ड डेमेज होने से रोकने के लिये व मौके पर शांती व्यवस्था बनाये रखने हेतु व लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने हेतु प्रदान किये जा चुके हैं, फिर गैरसायलान न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना नहीं कर लगातार विवादित आराजीयात को बेस्ट एण्ड डेमेज कर मौके पर शांती व्यवस्था भंग कर लॉ एण्ड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, अगर इस स्थिति में गैरसायलानों के खिलाफ कडा कदम नहीं उठाया गया तो मौके पर कभी भी कोई जनहानि पारित हो सकती है व अप्रिय घटना घटित हो सकती है। विवादित आराजीयात लगातार बेस्ट एण्ड डेमेज होती रही तो मूल प्रकरणों को निस्तारण अंतिम व सही रूप से नहीं हो पायेगा और न्याय की मंशा निष्फल

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

हो जायेगी व कब्जा संबंधी विवाद लगातार बना रहेगा एवं इस समय जोतने बोने व काश्त करने का समय है इसलिये मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने व विवादित आराजीयात के बेस्ट एण्ड डेमेज होने का व जनहानि होने का पूर्ण अंदेशा है। इसलिये इन सबसे बचने का न्यायालय के पास रिसीवर नियुक्त करने का उपचार शेष है। इसलिये विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना परम आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजीयात हाल खसरा न. 793/0.22, 794/0.15, 795/0.33, 796/0.25, 797/0.26, 811/0.09, 812/0.10,813/0.21, 814/0.43, 816/0.43, 817/0.47, 818/0.41, 815/0.27, 819/0.18, 820/0.03, 821/0.03, 822/0.02, 823/0.02, 824/0.18, 825/0.22, 826/0.10, 827/0.14, 828/0.46 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई की आराजीयात का तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात के मूल निस्तारण तक विवादित आराजीयात को अपने कब्जेराज में लिया जाकर काश्त की देखभाल का उचित प्रबंधन कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही संपादित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्र[illegible] सिंह R.A.S)
…लक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर नदबई

Scanned with CamScanner